

पं. तारीख  
गम जो इस  
की तारीख  
जारी हुए

न्यायालय उपरीष्ठ अधिकारी  
पदेन सहायक कलेक्टर  
करेड़ा (भीलवाड़ा)

पुस्तक सं/17 अ/19

नम्बर व तारीख  
आदकाम जो इस  
पत्र की तारीख  
जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जल  
दिनांक 23/04/18 लजाम अंतराल 07  
वकालत न्यायालय करेड़ा

10/4/18


उपय का उपस्थित पीठवासी उपाधी लक्ष्मीव-  
कार्य से बाहर से उपस्थित हुए हैं।  
अड बहवसी दिनांक 23/4/18 को पत्र है।

उपरीष्ठ अधिकारी, करेड़ा

23/4/18 पत्रावली पेश हुई। उपाधी  
उपाधी संश्लेष में विद्वान निम्नलिखित  
हैं कि श्री लक्ष्मी गण्डार रेस्पॉन्डेंट्स  
के विरुद्ध नामांकन 128 दिनांक 5/5/1989  
ग्राम पंचायत धाणा द्वारा पारित निर्णय  
के इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत  
की एवं ग्राम पंचायत द्वारा पारित  
निर्णय दिनांक 5/5/1989 को अनेकानि  
एवं निदमां के विपरीत मानते हुए इस  
निरस्त क्रिमे जानते हुए न्यायालय से  
आवेदन की है।

हमने अपील-मीमा व अध्यापन  
अवलोकन एवं मन्त किया। अपीलार्थि  
द्वारा अपील मीमां में प्रस्तुत तर्कों से  
यह न्यायालय प्रथम दृष्टया सहमत  
है एवं कारण में अपीलार्थि गण्डार  
द्वारा 05 मानव मिमाद अधिनियम  
में अंकित तथ्यों से भी प्रथम दृष्टया  
सहमत है।

अतः अपील अपीलार्थि गण  
स्वीकार की जाती है तथा अपील नष्ट

तारीख हुक्म	न्यायालय उपाखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा (पीलवाड़ा)	नम्बर अहकाम हुक्म में ज
	<p style="text-align: center;">2/17 अपील</p> <p>न्यायालय का नं० 125 निष्पत्ति नं०          04/5/19 89 को अपील विषे जाने के          आदेश दिये जाते हैं।</p> <p>अतः ग्राम धाफडा पण्डा धागा          की आसन्निकात जो कि अपील की चरण सं०          में वर्णित है को राजस्व रेकार्ड में प्रत्यक्ष          सं० प्रमाणित 03 के साथ साथ          अपीलार्थी गण का नाम दर्ज करने का          आदेश दिया जाता है। तदनुसार          को पालना दी जाये। अपीलार्थी          निष्पत्ति का भाग है। पत्रावली प्रमाण          शुमाए होकर नंबर से कम है। तथा पीलवा          पं० नं० है।</p> <p style="text-align: center;">           उपाखंड अधिकारी पवेन          सहायक कलक्टर करेड़ा       </p>	